बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

संबद्धता (संशोधन) विनियमावली 2018

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा–17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के आलोक में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, एतद् द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) सम्बद्धता विनियमावली–2011 यथा अद्यतन संशोधित में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियमावली बनाती है।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ –**

(i) यह विनियमावली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) सम्बद्धता (संशोधन) विनियमावली, 2018 कही जायेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) सम्बद्धता विनियमावली–2011 के अध्याय– II की कंडिका– 3 की उप कंडिका–(ii) (ड़) का प्रतिस्थापन :**

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) संबद्धता विनियमावली–2011 के अध्याय II की कंडिका–3 की उप कंडिका–(ii) (ड़) का प्रतिस्थापन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा।

(ड़) भौतिक आधारभूत संरचना–माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय का कुल भूतल क्षेत्रफल 1160 वर्ग मीटर (0.294 एकड़) निम्न रूप में वितरित होना चाहिए :–

माध्यमिक वर्गों के लिए वर्ग कक्ष– (संख्या–6, प्रत्येक 35 वर्ग मीटर)	210 वर्ग मीटर
उच्च माध्यमिक वर्गों के लिए– (संख्या–6, प्रत्येक 35 वर्ग मीटर)	210 वर्ग मीटर
प्रधानाध्यापक कक्ष (संख्या–1)	30 वर्ग मीटर
20 शिक्षकों के लिए स्टाफ कक्ष (संख्या–1)	50 वर्ग मीटर
प्रयोगशाला कक्ष (संख्या–3, प्रत्येक 50 वर्ग मीटर)	150 वर्ग मीटर